रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 | भारत सरकार | REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2017/अग्रहायण 7, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 358

No. 435] DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2017/AGRAHAYANA 7, 1939 [N.C.T.D. No. 358

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सं0 37/2017- राज्य कर (दर)

सं.फा. 03(50)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/756.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, उन वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है, जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के तत्संबंधी प्रविष्टि के टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट के अनुसार स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में राज्य कर की दर तथा स्तंभ (5) में निर्दिष्ट शर्त के अधीन हों, को अधिसूचित करती है, यथा:-

तालिका

क्रम. सं.	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष, या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना सं0 1/2017- राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, जिसे	1

			सं0फा003/(15)/वित्त/(राज-1)/2017-18/डीएस-VI/382), तारीख 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV,में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65%	
2	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना सं0 1/2017- राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, जिसे सं0फा003/(15)/वित्त/(राज-1)/2017-18/डीएस-VI/382), तारीख 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।V,में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65%	2

2. बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 1 जुलाई 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,

(1)इस अधिसूचना में उल्लिखित , ''टैरिफ मद'', ''उपशीर्ष'', ''शीर्ष'' और ''अध्याय'' से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975(1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष, अध्याय से है ।

(2)उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची की व्याख्या से संबंधित नियम, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोटस और सामान्य स्पष्टीकरण और टिप्पणियां भी शामिल है, इस अधिसूचना की व्याख्या के लिए भी लागू होंगे ।

अनुबंध

शर्त सं.	शर्त
1	मोटर वाहन को पट्टाकर्ता ने 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसे 1 जुलाई, 2017 के पहले पट्टे पर दिया हो ।
2	i. मोटर वाहन का आपूर्ति कर्ता एक पंजीकृत व्यक्ति हो । ii. ऐसा आपूर्तिकर्ता जिसने मोटर वाहन को 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसने उस पर भुगतान किये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया हो ।

यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2017

No. 37/2017- State Tax (Rate)

No. F. 3 (50)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/756.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the State Tax on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, at the rate specified in corresponding entry in column (4)and subject to relevant conditions annexed to this notification, if any, specified in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid:

TABLE

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub- heading orTariff item	Description of Goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	87	Motor Vehicles	65% of State tax applicable otherwise on such goods under Notification No.1/2017-State Tax (Rate) dated, 30th June, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No.F3 (15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382 dated the 30th June, 2017.	1
2.	87	Motor Vehicles	65% of State tax applicable otherwise on such goods under Notification No.1/2017-State Tax (Rate) dated, 30th June, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No.F3 (15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382 dated the 30th June, 2017.	2

2. Provided that nothing contained in this notification shall apply on or after 1st July, 2020.

Explanation –For the purposes of this notification, -

(i) "Tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	Condition
1.	The Motor Vehicles was purchased by the lesser prior to 1st July, 2017 and supplied on lease before 1st July, 2017
2.	i. The supplier of Motor Vehicle is a registered person. ii. Such supplier had purchased the Motor Vehicle prior to 1st July, 2017 and has not availed input tax credit of central excise duty, Value Added Tax or any other taxes paid on such vehicles

This notification shall come into force with effect from the 13th day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सं0 38/2017-राज्य कर (दर)

सं.फा. 03(51)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/757.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है ,संख्या सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/364 तारीख 30 जून 2017 ,द्वारा दिल्ली के राजपत्र ,असाधारण , भाग IV , में प्रकाशित वित्त विभाग (राजस्व-1) सं. 8/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून 2017 ,में निम्नलिखित संशोधन करते है ,अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में ,पैरा 1 के अधीन परंतुक का लोप किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना सं0 8/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में अंतर्विष्ट छूट 31 मार्च, 2018 तक सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को लागू होगी।

यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/364 तारीख 30 जून 2017 , द्वारा अधिसूचना संख्या 8/2017 राज्य कर (दर) के तहत दिल्ली के राजपत्र ,असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2017

No. 38/2017- State Tax (Rate)

No. F. 3 (51)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/757.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.8/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F3 (15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/364, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, the proviso under Paragraph 1 shall be omitted.

2. The exemption contained in the notification No. 8/2017-State Tax (Rate) dated the 30th June, 2017 as amended by this notification shall apply to all registered persons till the 31st day of March, 2018.

This notification shall come into force with effect from the 13th day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note: The principal notification No.8/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No.F3 (15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/364, dated the 30th June, 2017.

अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सं0 38/2017-राज्य कर

सं.फा. 03(52)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/758.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,परिषद की सिफारिशों पर ,दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 32/2017- राज्य कर तारीख, 8 नवम्बर, 2017 जो कि दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, खंड IV, संख्या सं0फा0 03(38) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/716, दिनांक 8 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ,में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में–

(i) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद), हाथ से बनी शालें ,स्टोल और स्कार्फ	50, 58, 61, 62, 63 सहित";

(ii) क्रम सं .28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा ,अर्थात्:-

"29	श्रृंखला टांका	कोई अध्याय
30	क्रिवेल ,नामदा ,गाबा	कोई अध्याय
31	खपच्ची भिसा उत्पाद	कोई अध्याय
32	तोरण	कोई अध्याय
33	शोला से बनी चीजें	कोई अध्याय"।

यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 32/2017- राज्यकर, तारीख 8 नवम्बर 2017, दिल्ली के राजपत्र असाधारण, भाग IV में सं0फा0 03(38) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/716 तारीख 8 नवम्बर 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2017

No. 38/2017- State Tax

No. F. 3 (52)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/758.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.32/2017- State Tax, dated 8th November, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No.F3 (38)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/716 dated the 8th November, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table –

(i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"9	Textile (handloom products), Handmade shawls, stoles and scarves	Including 50, 58, 61, 62, 63";

(ii) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"29	Chain stitch	Any chapter
30	Crewel, namda, gabba	Any chapter
31	Wicker willow products	Any chapter
32	Toran	Any chapter
33	Articles made of shola	Any chapter".

This notification shall come into force with effect from the 13th day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note: - The principal notification No32/2017-State Tax, dated the 8th November, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No.F3 (38)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/716 dated the 8th November, 2017.

अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सं. 40/2017-राज्य कर

सं.फा. 03(53)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/759.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पशचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,परिषद की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को,जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक नहीं था या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसकी उस वर्ष में जिसमें ऐसे व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण करवाया है, में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए से कम होने कि संभावना है और जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण का विकल्प नहीं लिया था, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के संबंध में परिस्थितियों सहित उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ति के समय माल की जावक पूर्ति पर राज्य कर का संदाय करेगा,और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट बयौरे और विवरणी को प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2017

No. 40/2017- State Tax

No. F. 3 (53)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/759.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the 'said Act'), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees or the registered person whose aggregate turnover in the year in which such person has obtained registration is likely to be less than one crore and fifty lakh rupees and who did not opt for the composition levy under section10 of the said Act as the class of persons who shall pay the state tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions

of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

This notification shall come into force with effect from the 13th day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सं. 46/2017-राज्य कर

सं.फा. 03(54)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/760.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 8 /2017- राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017 जो कि दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, खंड IV, संख्या सं0फा0 03(14) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/357, दिनांक 30 जून, 2017 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते है ,अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) शब्द "पचत्तर लाख रुपये" के स्थान पर "एक करोड़" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) शब्द "पचास लाख रुपये" के स्थान पर "पचत्तर लाख रूपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

नोटः प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017- राज्य कर, दिनांक 30 जून, 2017, को सं0फा0 03(14)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/357 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2017

No. 46/2017- State Tax

No. F. 3 (54)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/760.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1), No.8/2017- State Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No.F3 (14)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/357, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) for the words "seventy-five lakh rupees", the words, "one crore" shall be substituted;

(ii) for the words "fifty lakh rupees", the words, "seventy-five lakh rupees" shall be substituted;

This notification shall come into force with effect from the 13th day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The Principal Notification was published in Gazette of Delhi, Extraordinary, vide Notification No.8/2017-State Tax, dated 30th June, 2017, No.F.3(14)/Fin.(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/357 dated 30th June, 2017.

अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सं. 50/2017-राज्य कर

सं.फा. 03(55)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/761.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, उन सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो नियत तारीख तक अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017 मास के लिए प्ररूप जीएसटी आर-3ख में विवरणी देने में असफल रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का अधित्यजन करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2017

No. 50/2017-State Tax

No. F. 3 (55)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/761.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under section 47 of the said Act, for all registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the month of August and September, 2017 by the due date.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सं. 39/2017-राज्य कर (दर)

सं.फा. 03(56)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/762.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, माल जिनका विवरण निम्न तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है तथा जो उक्त तालिका के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, राज्य के भीतर आपूर्ति पर, 2.5 प्रतिशत की राज्य कर की दर सूचित करती है, पर नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन अर्थात्:-

तालिका

क्रम. सं.	अध्याय शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफमद	माल का विवरण	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19 or 21	केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निशुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट अभिधानों में रखी गई खाद्य निर्मितियां।	यदि खाद्य निर्मितियों का प्रदायक ऐसे किसी अधिकारी से, जो भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है या सबंधित राज्य सरकार में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसी खाद्य निर्मितियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऐसे माल की आपूर्ति की तारीख से पांच मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय कर आयुक्त या क्षेत्राधिकार प्राप्त राज्य कर आयुक्त के इस निमित्त अनुज्ञात करे, वितरित कर दी गई है।

स्पष्टीकरण—

(i) "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

यह अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2017

No. 39/2017-State Tax (Rate)

No. F. 3 (56)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/762.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the State Tax rate of 2.5 per cent on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), subject to the condition specified in column (4) of the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of Goods	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19 or 21	Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to	When the supplier of such food preparations produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government concerned to the effect that such food preparations have been distributed free to the

		economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government.	economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or the State Government concerned, within a period of five months from the date of supply of such goods or within such further period as the jurisdictional commissioner of the Central tax or jurisdictional commissioner of the State tax, as the case maybe, may allow in this regard.

Explanation. –

(1) In this notification, "tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

This notification shall come into force with effect from the 18th day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सं. 40/2017-राज्य कर (दर)

सं.फा. 03(57)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/763.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (एतश्मिन पश्चात जिसे इस अधिसूचना में, उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित के लिए आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्यात के लिए एक पंजीकृत प्राप्तकर्ता को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा कर लगने योग्य वस्तुओं (एतश्मिन पश्चात जिसे इस अधिनियम में उक्त वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) पर, राज्य के भीतर आपूर्ति पर, उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत इन पर लगने वाले राज्य कर जिसका 0.05 प्रतिशत की दर से गणना की गई राशि से अधिक है, पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एततद्वारा छूट प्रदान करता है, नामत:

(i) पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, पंजीकृत प्राप्तकर्ता को टैक्स इनवॉयस पर वस्तुओं की आपूर्ति करेगा;

(ii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत-आपूर्तिकर्ता द्वारा कर इनवाइस जारी किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उक्त वस्तुओं का निर्यात करेगा;

(iii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की माल एवं सेवाकर की पहचान संख्या एवं उक्त वस्तुओं के संबंध में पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी टैक्स इनवाइस संख्या शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल, जैसा भी मामला हो, में दर्शायेगा;

(iv) पंजीकृत प्राप्तकर्ता का निर्यात संवर्धन परिषद अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मद संबंधी बोर्ड द्वारा पंजीकरण किया जायेगा;

(v) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, रियायती दर पर वस्तुएं खरीदने के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को आदेश जारी करेगा तथा इसकी एक प्रति पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;

(vi) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के स्थान से उक्त वस्तुओं को सीधे -

(क) बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर जहां से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है, ले जाएगा; या

(ख) किसी पंजीकृत वेयर हाउस पर जहां से उक्त वस्तुओं को बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर ले जाएगा जहां से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है ।

(vii) यदि पंजीकृत प्राप्कर्ता, कई पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त हुई आपूर्ति को समेकित करके फिर निर्यात करना चाहता है तो प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की वस्तुएँ, पंजीकृत वेयर हाउस को भिजवाई जायेगी तथा समेकन के पश्चात पंजीकृत प्राप्तकर्ता वस्तुओं को बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर ले जायेगा जहां से उनका निर्यात किया जाएगा;

(viii) इस मामले में शर्त (vii) में बताई गई स्थिति में, पंजीकृत प्राप्तकर्ता, टैक्स इनवायस पर वस्तुओं की प्राप्ति पृष्ठांकित करेगा और वेयर हाउस आपरेटर से पंजीकृत वेयर हाउस में वस्तुओं की प्राप्ति की आवती प्राप्त करेगा तथा पृष्ठांकित टैक्स इनवाइस और वेयर हाउस आपरेटर की पावती, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को तथा ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;

(ix) जब वस्तुएं निर्यात कर दी जाती हैं तो पंजीकृत प्राप्तकर्ता शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल जिसमें जीएसटीआईएन का ब्यौरा और पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की टैक्स इनवाइस अंकित हो तथा इसके साथ एक्सपोर्ट जनरल मैनीफैस्ट का सुबूत या पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को ओर ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त टैक्स अधिकारी को दायर की गई निर्यात रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायेगा।

2. यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता उक्त वस्तु के निर्यात में कर बीजक के जारी होने के 90 दिनों के भीतर असफल रहता है तो उक्त संदर्भित छूट के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता पात्र नहीं होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2017

No. 40/2017-State Tax (Rate)

No. F. 3 (57)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/763.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “the said Act”), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of taxable goods (hereafter in this notification referred to as “the said goods”) by a registered supplier to a registered recipient for export, from so much of the state tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate of 0.05 per cent., subject to fulfilment of the following conditions, namely: -

(i) the registered supplier shall supply the goods to the registered recipient on a tax invoice;

(ii) the registered recipient shall export the said goods within a period of ninety days from the date of issue of a tax invoice by the registered supplier;

(iii) the registered recipient shall indicate the Goods and Services Tax Identification Number of the registered supplier and the tax invoice number issued by the registered supplier in respect of the said goods in the shipping bill or bill of export, as the case may be;

(iv) the registered recipient shall be registered with an Export Promotion Council or a Commodity Board recognised by the Department of Commerce;

(v) the registered recipient shall place an order on registered supplier for procuring goods at concessional rate and a copy of the same shall also be provided to the jurisdictional tax officer of the registered supplier;

(vi) the registered recipient shall move the said goods from place of registered supplier –

(a) directly to the Port, Inland Container Deport, Airport or Land Customs Station from where the said goods are to be exported; or

(b) directly to a registered warehouse from where the said goods shall be move to the Port, Inland Container Deport, Airport or Land Customs Station from where the said goods are to be exported;

(vii) if the registered recipient intends to aggregate supplies from multiple registered suppliers and then export, the goods from each registered supplier shall move to a registered warehouse and after aggregation, the registered recipient shall move goods to the Port, Inland Container Deport, Airport or Land Customs Station from where they shall be exported;

(viii) in case of situation referred to in condition (vii), the registered recipient shall endorse receipt of goods on the tax invoice and also obtain acknowledgement of receipt of goods in the registered warehouse from the warehouse operator and the endorsed tax invoice and the acknowledgment of the warehouse operator shall be provided to the registered supplier as well as to the jurisdictional tax officer of such supplier; and

(ix) when goods have been exported, the registered recipient shall provide copy of shipping bill or bill of export containing details of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) and tax invoice of the registered supplier along with proof of export general manifest or export report having been filed to the registered supplier as well as jurisdictional tax officer of such supplier.

2. The registered supplier shall not be eligible for the above mentioned exemption if the registered recipient fails to export the said goods within a period of ninety days from the date of issue of tax invoice.

This notification shall come into force with effect from the 23rd day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सं. 51/2017-राज्य कर

सं.फा. 03(58)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/764.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये 28 अक्तूबर 2017 से प्रवृत्त हुए माने जाएंगे।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम 2017 में,

(i) नियम 24 के उपनियम (4) में, **"31** अक्तूबर**,** 2017 को या उससे पहले" अंकों और शब्दों के स्थान पर, **"31** दिसंबर, 2017 को या उससे पहले" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) नियम 45 के उपनियम (3) में, "उक्त तिमाही के उत्तरवर्ती" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विस्तारित की जाए :

परंतु केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) नियम 96 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता **प्ररूप जीएसटीआर-1** की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी **प्ररूप जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में स्वत: प्रारूपित की जाएगी ।";

(**iv**) नियम 96क के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता **प्ररूप जीएसटीआर-1** की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी **प्ररूप जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में स्वत: प्रारूपित की जाएगी ।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, दिल्ली सरकार के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2017 को सं0फा0 03 (10) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/342, दिनांक 22 जून, 2017, को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना संख्या 47/2017 - राज्य कर दिनांक 23 नवम्बर, 2017 को हुआ था ।

NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2017

No. 51/2017-State Tax

No. F. 3 (58)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/764.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 28th day of October, 2017.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i) in rule 24, in sub-rule (4), for the words, figures and letters "on or before 31st October, 2017", the words, figures and letters "on or before 31st December, 2017" shall be substituted;

(ii) in rule 45, in sub-rule (3), after the words "succeeding the said quarter", the words "or within such further period as may be extended by the Commissioner by a notification in this behalf:

Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner." shall be inserted;

(iii) in rule 96, in sub-rule (2), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that where the date for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in Table 6A of **FORM GSTR-1** after the return in

FORM GSTR-3B has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs:

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in **FORM GSTR-1** for the said tax period.";

(iv) in rule 96A, in sub-rule (2), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that where the date for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in Table 6A of **FORM GSTR-1** after the return in **FORM GSTR-3B** has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs:

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in **FORM GSTR-1** for the said tax period.".

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal rules were published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, dated 22nd June, 2017 vide Notification No.F.3(10)/Fin.(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/342 dated 22.06.2017 and last amended vide Notification No.47/2017-State Tax dated 23.11.2017.

अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सं.फा. 03 (17)/वित्त (राजस्व–1)/2017–18/डीएस–VI/765.–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा, को दिनांक 4.7.2017 की सं0 फा0 3(17)/वित्त (राजस्व–1)/2017–18/ **डीएस–VI /412** द्वारा गठित एडवांस रूलिंग प्राधिकरण हेतु श्री राजे ा गोयल, अतिरिक्त आयुक्त, डीजीएसटी के स्थान पर श्री विनय कुमार, वि ोश आयुक्त, डीजीएसटी दिल्ली को राज्य सरकार के सदस्य के रूप में नामित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2017

No. F. 3 (17)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/765.—The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to nominate Sh. Vinay Kumar, Special Commissioner, DGST, as the Member of State Government in the Delhi Authority for Advance Ruling, constituted vide No.F.3(17)/Fin(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/412 dated 04.07.2017, in place of Sh. Rajesh Goyal, Additional Commissioner, DGST, with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.12.07 19:04:18 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.